>

Title: Need to fill up seats in the private medical colleges solely on the basis of merit.

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): देश में चिकित्सा महाविद्यालयों की बढ़ती संख्या के कारण चिकित्सा शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, जिसके कारण प्रदेशों में मेरिट के आधार पर प्रवेश न होकर रूपये के बल पर प्रवेश दिया जा रहा है। जो गरीब बच्चे हैं वो चिकित्सीय शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक मिलीभगत कर डीमेट परीक्षा आयोजित करवाते हैं जिसमें उनके मनचाहे छात्रों को प्रवेश मिलता है। अभी विगत माह मध्य प्रदेश राज्य में इस बडे. गोरखधंधे का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें प्रदेश बच्चे से बीस लाख रूपये लेकर व्यावसायिक परीक्षा मण्डल व्यापम से सांठगांठ कर बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता था। यह गिरोह पिछले दस वर्षों से कार्य कर रहा था और हजारों कमजोर बच्चों को डॉक्टरी का कोर्स करवा चुका है।

यदि इसकी जांच की जाए तो सामने आ जाएगा कि जिन बच्चों के दसवीं एवं बारहवीं में कम अंक हैं, वो डीमेट परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्राप्त कर लेता है और जो विद्यार्थी दसवीं एवं बारहवीं में मेरिट प्राप्त करता है उसको मेडिकल में प्रवेश ही नहीं मिलता। जांचोपरांत पता चल जाएगा कि डीमेट परीक्षा में वही बच्चे पास हुए होंगे जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं।

मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप कर इस प्रणाली को पूरे देश में बंद कराएं तथा निजी मेडिकल कॉलेज संचालकों को एक भी सीट का कोटा न दिया जाए। सभी सीटें मेरिट आधार पर भरी जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।